न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 161/2025

शशिकांत शर्मा, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्या मुख्य वि एवं स्वा. अधिकारी, कोटपूतली बहरोड।

–आवेदक

बनाम

1. श्री मदन लाल जाट पुत्र श्री विहारी लालजाट उम्र 48 वर्ग (विक्रेता) निवासी कल्याणपुरा, रूध रामपुर बानसूर, कोटपूतली बहरोड़, कोटपूतली–बहरोड़, एनटरप्राईजेज, मैसर्स–नायरा एनटरप्राईजेज, 2, ग्राउण्ड फ्लोर, सैनी कॉम्पलेक्स, बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड

2. श्री बलवंत कुमार सैनी पुत्र श्री प्रहलाद सैनी, उम्र 26 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) निवासी–ढाणी सिल्लार की बानसूर कोटपूतली–बहरोड़, मैसर्स–एनटरप्राईजेज, 2, ग्राउण्ड फ्लोर, सैनी कॉम्पलैक्स, बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड़।

– अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (II), / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 8/1/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं शशिकांत शर्मा दिनांक 01.05.2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा था मुझे खाद्य सुरक्षा आयुक्त एंव निदेशक, राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 व 10.08.2011 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है जिसमें क्रम संख्या 41 पर मेरा नाम अंकित है एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त एंव निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 द्वारा कार्य क्षेत्र की

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

सीमा निर्धारित की गई हैं। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 101 दिनांक 15.01.2025 द्वारा आवंटित कार्यक्षेत्र जिला कोटपूतली–वहरोड दिया है। सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।

2. यह है कि दिनांक 01.05.2025 को सुबह 11:30 वजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थो की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स नायरा एनटरप्राईजेज, 2, ग्राउण्ड फ्लोर, सैनी कॉम्पलैक्स, बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड़ स्थित दुकान पर पहुँचा। उक्त समय उक्त स्थल पर विक्रेता श्री मदन लाल जाट पुत्र श्री बिहारी लाल जाट स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ मावा आमजन को बिक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री प्रहलाद सैनी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री मदन लाल जाट पुत्र श्री बिहारी लाल जाट, उम्र 48 वर्ष, निवासी– कल्याणपुरा, रूंध रामपुर बानसूर, कोटपूतली–बहरोड़, का होना वताया एवं स्वयं को उक्त खाद्य कारोबार का विक्रेता होना बताया एवं मौके पर विक्रेता द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञापत्र पत्र नं0 12224010000276 होना पाया गया।

3. यह है कि उक्त निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान संस्थान के डीप फ्रीज में 70 ग्राम लगभग 100 नग कुल्फी के आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। डीप फ्रीज में आमजन को बिक्री वास्ते रखी कुल्फी में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री प्रहलाद सैनी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा की उपस्थिति में विक्रेता श्री मदन लाल जाट पुत्र श्री विहारी लाल जाट को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त Kulfi में से 18 नग प्रत्येक 70 ग्राम Kulfi वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील के भगौने में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 216/– (अक्षरे दो सौ सोलह रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये से 18 नग प्रत्येक 70 ग्राम Kulfi को पिघलाकर एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की वोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा कुल्फी को प्रत्येक वोतल में वरावर भरकर प्रत्येक वोतल में परीक्षक फार्मलीन की 24–24 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. AS–84 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु चि. एवं स्वा.

अधिकारी कोटपूतली बहरोड द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं0 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त Kulfi के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 64 दिनांक–26.05.2025 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 142/18.08.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) Kulfi की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (1) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

51 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।

11. आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया। बाद सूचना अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित आकर जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को सुना गया। अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा जिस डेयरी से दूध लिया जा रहा था उसमें दूध में फैट की मात्रा कम होने एंव हमारे पास जॉच की मशीन नही होने के कारण दूध में फैट की मात्रा कम पाई गई है आगे से कोई शिकायत नही आयेगी इसलिए प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

12. पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सवस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ Kulfi की का विक्रय कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह साबित हो सके की उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री मदन लाल जाट पुत्र श्री विहारी लालजाट उम्र 48 वर्ग (विक्रेता) निवासी कल्याणपुरा, रूध रामपुर वानसूर, कोटपूतली वहरोड़, कोटपूतली–वहरोड़, एनटरप्राईजेज, मैसर्स–नायरा एनटरप्राईजेज , 2, ग्राउण्ड फलोर, सैनी कॉम्पलेक्स, वानसूर जिला कोटपूतली–वहरोड एवं श्री वलवंत कुमार सैनी पुत्र श्री प्रहलाद सैनी, उम्र 26 वर्ष (खाद्य कारोवारकर्ता एवं मालिक) निवासी–ढाणी सिल्लार की वानसूर कोटपूतली–वहरोड़, मैसर्स–एनटरप्राईजेज, 2, ग्राउण्ड फलोर, सैनी कॉम्पलैक्स, वानसूर जिला कोटपूतली–वहरोड़ पर 25000/- शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 20-1-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलेक्टर एवं
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली